

29/6/22

पत्रावली पेश इत मगावली वाट जवाब  
हलकी माली, सबस दिनांक 29/8/22 क  
पेश की

29/8/22

पत्रावली पेश डई। रक रक कर तीन  
बार आवाज दिलाई गई। न लो वाडी  
उपाधीट, न ही वकील उप। ऐसी नक्किरे  
में न्यायालय उम्ह वाद को आगे जँकर  
रखना उचित नही समझती है। अतः  
वाद को अफम हाजरी अफम पेंची  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
कैमल सुमार होकर नक्कर से कम  
की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.8.22  
को सरे वजलास चुनाव गजा।

उप स्वण्ड अधिकारी  
सांगरोल जिला बार्ड (राज०)